बिहार विधान-सभा वादवृत ।

शुक्रवार, तिथि १६ जून, १९७२ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि १६ जून १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अतपसूचित प्रश्नोत्तर ।

रैयाम चीनी मिल को चालू करना ।

१०१ । श्री सूरज नारायण सिंह—क्या मंत्री, इंख विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि विहुत को-आपरेटिव सुगर फैक्ट्री, रेयाम का निबन्धन गत साल दिनांक १८ जून, १९७१ को ही हुआ था;

(२) क्या यह बात सही है कि निबन्धन के बाद सरकार की ओर से प्रबन्ध निर्देशक का मनोनयन नहीं होने के कारण ही हिस्सा-पूंजी का संग्रह नहीं हुआ है;

सचिवालय के द्वारा प्रेषित आदेश संख्या-२४४६ दिनांक २४-५-१६७१ के प्रकाश में इस अस्थायी पदों को स्थायीकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा अयतन स्थिति से पर्षद को अवगत कराया जाय ;

(२) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अनुस्मार के बाद भी हजारीबाग के कलेक्टेरिपेट में १६५५ से कार्य कर रहे लिपिकों के अस्थायी पद को स्थायी नहीं किया गया है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त आदेश का सरकार अक्षरशः पालन करेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

हजारीबाग समाहरणालय में सन १६५५ से कार्य कर रहे अस्थायी लिपिकों का कुल संख्या-६७ था जिनमें से १६६३ लिपिकों को स्थायी कर दिया गया है। शेष ४ अस्थायी लिपिकों को स्थायी नहीं किया जा सका है चूंकि इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है।

राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत कुछ अस्थायी पदों पर नियुक्त लिपिकों को स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि इन पदों को स्थायी करने के लिय संबंधित विभागों को लिखा गया है और राज्यादेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

(३) सरकारी आदेश के अनुसार कार्रवाई हो रही है तथा खंड (२) में उल्लिखित अन्य संबंधित विभागों को आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्यादेश प्राप्त होने पर संबंधित लिपिकों को स्थायी कर दिया जायगा।

पुनर्वास की व्यवस्था

१६८२। श्री ए० के० राय—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखंड के कुमुरिया गांव की ३२ आदिवासी परिवार के ८० मकान एवं सभी सामान दिनांक ६-५-१६७१ में एक भयानक आग में जल गये हैं।

(२) क्या यह बात सही है कि आदिवासियों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा कुछ नहीं किया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त आदिवासी लोग गरीब हैं एवं स्वयं पुनर्वास करना उनके लिये संभव नहीं है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उन आदिवासियों के पुनर्वास के लिये कौन सी कदम उठायेगी जिसमें बरसात के पहले ही आदिवासियों का पुनर्वास हो सके ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। यह बात सही है कि निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत कुमरिया गांव के कुल २८ परिवारों के ८० मकान जल गये थे जिसमें कुछ प्रभावित आदिवासी परिवारों की संख्या-२१ थी तथा उनके जले मकानों की संख्या-५४ थी। शेष ७ परिवार अन्य जाति के थे जिनके जले मकानों की संख्या २६ थी।

(२) उत्तर नकारात्मक है। प्रभावित परिवारों को गृह-निर्माण हेतु कुल २६८० रु० नकद भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन साहाय्य के रूप में ६८७ कि० ६९६ ग्राम आंटा मुफ्त् दिया गया था तथा एक स्थानीय समाज सेवी ने प्रभावित परिवारों के बीच २८ जोड़ा धोती और २८ जोड़ा साड़ी का भी वितरण किया था।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) खण्ड (२) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सीताराम पासवान के नाम पर दर्ज कराना

१६८४। श्री तेज नारायण झा—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिसफी प्रखंड के अन्तर्गत खौली ग्राम के परात मटुक ठाकुर नामक पट्टी पर श्री सीताराम पासवान हरिजन का घर पिछले चार वर्षों से है;

(२) क्या यह बात सही है कि अभी तक उक्त जमीन ने उनके नाम से नहीं की गयी है;